कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ
(आपदा अनुभाग)

पत्रांकः 290/सी0आर0ए0/दैवी.आपदा/कम्बल क्रय/19–20 दिनांकः 26, दिसम्बर, 2019

शासनादेश संख्या–271/एक–10–2019–12(34)/03टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम मे वित्तीय वर्ष 2019–20 मे जनपद के गरीब/निराश्रित/असहाय कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्याधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाव हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने है। शासनादेश संख्या–616/एक–10–12(34)/03टी0सी0–1 दिनांक 23 दिसम्बर,2019 के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय किये जाने हेतु जनपद मेरठ को धनराशि अंकन 25,00,000/– आवंटित की गयी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–221/18–2–2019–12 (एस0पी0)/2010 दिनांक 24–07–2019 तथा शासनादेश दिनांक 06–12–2019 मे वर्णित प्रक्रिया के अनुपालन मे जेम पोर्टल के माध्यम से कम्बल क्रय करने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन मे समिति के सभी सदस्यों की सहमति के द्वारा दिनांक 26–12–2019 को ऑलनाईन खुली बिड(जेम निविदा) श्रेणी मे निविदा आमंत्रित की गयी है जो दिनांक 06–01–2020 को समय 01:00 बजे समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

जेम पोर्टल पर कम्बल क्रय करने हेतु टैकनिकल बिड

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	कम्बल की दर (रू. में)	कम्बल की निर्धारित गुणवत्ता			
				साईज से.मी. में		वजन कि.ग्रा. में	ऊन की मात्रा प्रतिशत में
				लम्बाई	चौडाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कम्बल आपूर्ति	6250 (संख्या अधिक हो सकती है)	अधिकतम 500/– रूपये	235 से.मी.	140 से.मी.	2.200 कि.ग्राम	70 प्रतिशत

निविदा के संबंध मे शर्ते निम्नवत है:–

1– आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों की अधिकतम दर रू0 500/–प्रति कम्बल, कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौडाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों मे ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए व पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए।

2– आपूर्तित संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौडाई एव वनज का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री योग्य नही है।

3– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2,उ0प्र0, लखनऊ के शासनादेश संख्या– 221/18–2–2019–12 (एस0पी0)/2010 दिनांक 24–07–2019 के अंतर्गत कम्बल क्रय किये जाने के संबंध मे सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हे क्रेता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें एवं श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम) के द्वारा लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के क्रय की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है।

4– शासनादेश संख्या–271/एक–10–2019–12(34)/03टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ दिनांक 03, जुलाई, 2019 व शासनादेश दिनांक 08–11–2019 व 06–12–2019 तथा 23–12–2019 मे दिये गये निर्देशों के क्रम मे कम्बल क्रय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5– आपूर्तिकर्ता को बिड खोलने की दिनांक को, बिड से पूर्व **Advance sample** (कम्बल का सैम्पल) देना होगा।

6– विक्रेता आपूर्तिकर्ता संस्था वाणिज्यकर विभाग मे (उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत) वैध पंजीकृत होना अनिवार्य है। पैन, टैन व जी0एस0टी0 नम्बर की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

7– ऐसी संस्था ही निविदा हेतु अधिकृत होगी जिसका टर्नओवर 13,00,000/–(तेरह लाख रूपये) सालाना होगा।

8– स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत(आपूर्ति आदेश मिलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर) कम्बलों की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसीलों मुख्यालयों पर करना अनिवार्य है। जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।

9– सेवा कर/जी0एस0टी0/प्रशासनिक व्यय का भार निविदादाता आपूर्तिकर्ता को स्वंय वहन करना होगा।

10– भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती कर ली जायेगी।

11– सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

12– आपूर्तिकर्ता को प्रमाणित संस्था से प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा।

13– किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति/जिलाधिकारी महोदय का होगा।

जेम पोर्टल पर प्राप्त निविदा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित तकनीकी समिति के समक्ष दिनांक 06–01–2020 को अपरान्ह 01:00 बजे खोली जायेगी।

(सुभाष चन्द्र प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मेरठ।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी, मेरठ महोदय की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मेरठ (समिति सदस्य), को उक्त सूचना जनपद मेरठ की बेबसाइट पर दर्ज करने हेतु एक प्रति।

3– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सूचना/पत्र का निशुल्क प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मे कराना सुनिश्चित करें।

(सुभाष चन्द्र प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मेरठ।